


10.02.2026:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी को दिनांक 11.03.2022 व दिनांक 17.09.2025 व दिनांक 08.01.2026 को अंतिम अवसर व हिदायत दी गई है। पर वादी उपस्थित नहीं आ रहे। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी को लगातार नोट करवाया जा रहा है। जिस पर कोई अमल नहीं किया गया। वादी अधिवक्ता को आज दिनांक को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र तलबी अभाव मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़